DEICHMANN

डाइखमन

आचार संहिता

डाइखमन की इस आचार संहिता में बी एस सी आई आचार संहिता, संस्करण 1/2014 सम्मिलित है। डाइखमन समूह बी एस सी आई आचार संहिता को मान्यता देता है और बी एस सी आई सोपानक्रम में बेहतर योगदान देने हेतु उन्होंने अपना स्वयं का खाका उपयोग किया है।

प्रस्तावना

डाइखमन समूह अपने वैश्विक प्रचालनों में सामाजिक स्वीकार्यता तथा पर्यावरण हितैषी नीति का पालने करने के अपने उत्तरदायित्व हेतु प्रतिबद्ध है। हमने अपने व्यावसायिक साझेदारों तथा अपनी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी सभी कंपनियों को, अपने कर्मचारियों को और अन्य पक्षकारों को अपना यह दृष्टिकोण समझाने हेतु यह डाइखमन आचार संहिता (संस्करण 2016) तैयार की है। डाइखमन के सभी व्यावसायिक साझेदारों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कंपनियों से हमारी यह अपेक्षा है कि वे बिना किसी अपवाद के इस आचार संहिता का अनुपालन करें और इस अपेक्षा को लेकर हम कोई समझौता नहीं कर सकते।.

डाइखमन की यह आचार संहिता व्यवसाय सामाजिक अनुपालन पहल (बी एस सी आई) के नवीनतम सिद्धांतों का पालन करती है। यह सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा, बाल अधिकार तथा व्यावसायिक सिद्धांतों संबंधी दिशानिर्देशों, यू एन के व्यवसाय व मानवाधिकार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (ओ ई सी डी) के मार्गदर्शी सिद्धांतों, यू एन वैश्विक समझौते जैसे उन अंतरराष्ट्रीय करारों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के उन संधिपत्रों व अनुशंसाओं पर आधारित है, जो आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कार्य दशाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक हैं।

डाइखमन की इस आचार संहिता द्वारा हम डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी पक्षकारों को अपने सिद्धांतों से परिचित कराना चाहते हैं। साथ ही हम उनके निकट सहयोग से अपने सिद्धांतों को और विकसित भी करना चाहते हैं। इनके अनुसार न चलने पर हम बस व्यावसायिक संबंध ही नहीं समाप्त करेंगे।

हमारा मूलभूत नियम यह है कि डाइखमन के सभी व्यावसायिक साझेदारों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कंपनियों (उप-ठेकेदारों) को अपने हर कार्य में इस दस्तावेज में वर्णित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि हमारा कोई सिद्धांत किसी देश या क्षेत्र के कानूनों से कमजोर है, तो वहाँ उस देश या क्षेत्र के कानून ही लागू होंगे अर्थात किसी भी स्थिति में उच्चतर मानक लागू होंगे। वैसे ऐसा होने पर डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों को अविलंब इसकी सूचना डाइखमन समूह को देनी चाहिए। हमारा ऐसा कोई भी उपबंध या विनियम, जो उस क्षेत्र के कानून से कठोर हो अर्थात जो उच्चतर मानकों की व्यवस्था देता हो, निष्प्रभावी नहीं होता और उसका पालन होना चाहिए।

हेनरिक ओ. डाइखमन निदेशक मंडल तथा कार्यपालक निदेशकों के अध्यक्ष

"डाइखमन का व्यावसायिक साझेदार" उसका अनुबंधशुदा वह साझेदार है, जो किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के लिए उत्तरदायी होता है और जो आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति के चलते सामाजिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है। यह परिभाषा निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, असेंबलरों, सेवा प्रदाताओं आदि पर लागू हो सकती है।

"उप-ठेकेदार" आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी एक ऐसी आर्थिक सत्ता है, जो आपूर्तिकर्ता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे आवश्यक वस्तुएँ तथा/अथवा सेवाएँ प्रदान करती है, जिनका आपूर्तिकर्ता वस्तुओं के उत्पादन या सेवाएँ प्रदान करते समय उपयोग करता है।

1. कर्मचारी सहभागिता व संरक्षण

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को प्रमाणित प्रबंधन कार्य-व्यवहार तय करने चाहिए ताकि उनके कर्मचारी तथा उनके प्रतिनिधि कार्य-संबंधी मामलों के विषय में प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान कर सकें। उन्हें डाइखमन की आचार संहिता के लक्ष्यों के अनुरूप कर्मचारियों के संरक्षण हेतु उपयुक्त उपायों की अनुमति देनी चाहिए और कर्मचारियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए निर्दिष्ट कदम उठाने चाहिए।

यही नहीं, डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को अपने कार्यकारियों, कर्मचारियों व कर्मचारी प्रतिनिधियों के उस स्तर तक कौशल-विकास का प्रयास करना चाहिए कि ये कार्य-व्यवहार सफलतापूर्वक उनके व्यावसायिक प्रचालनों के अंग बन जाएँ। इसके लिए सभी प्रचालन स्तरों पर नियमित व उन्नत प्रशिक्षण आवश्यक है। औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में तो प्रशिक्षण विशेष रूप से आवश्यक है।

वैयक्तिक व्यवसायों में जिन व्यक्तियों व समूहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, उनके लिए डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को प्रभावी शिकायत व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए या उसमें सहभागिता करनी चाहिए। जहाँ पर प्रभावी व दक्ष विधिक प्रणालियाँ काम कर रही हों, वहाँ पर भी शिकायती व्यवस्थाएँ काफी लाभकारी हो सकती हैं, उदाहरण- किसी विश्वसनीय व्यक्ति तक त्वरित पहुँच, किसी शिकायत का तत्काल उपचार, लागतों में कमी और पारराष्ट्रीय पहुँच उपलब्ध कराकर।

2. बालश्रम व युवा संरक्षण

15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य बालश्रम है। यदि स्थानीय कानून में इससे अधिक न्यूनतम आयु या अनिवार्य स्कूली शिक्षा अवधि की व्यवस्था है, तो फिर उच्चतर आयु लागू होगी। हालाँकि यदि कानूनी न्यूनतम आयु आईएलओ संधिपत्र 138 में विकासशील देशों संबंधी अपवादों में दिए अनुसार 14 वर्ष है, तो निम्नतर आयु लागू होगी।

जो कर्मी उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार बालक से अधिक आयु के और 18 वर्ष से कम आयु के हैं, वे "किशोर कर्मचारी" हैं।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो कभी बालश्रम कराना चाहिए, न ही कभी सहन करना चाहिए। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में उपयुक्त आयु-निर्धारण व्यवस्थाएँ शामिल करनी चाहिए। ध्यान रखें कि ये व्यवस्थाएँ किसी भी हालत में कर्मचारियों का अपमान या अवमूल्यन न करती हों।

यदि कभी बच्चे उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार बालश्रम की चपेट में आ गए हों और फिर उससे मुक्त हो गए हों, तो डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को अपने कर्मचारियों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी विधियों व क्रियाविधियों का परिचय, प्रलेखन व अवबोधन कराना चाहिए, जिनसे ऐसे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व विकास सुनिश्चित हो।

ऐसे बच्चे उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार जब तक बालक की श्रेणी में आते हैं, तब तक डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को उन्हें विद्यालय जाने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को अपने कर्मचारियों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी विधियों व क्रियाविधियों का परिचय, प्रलेखन व अवबोधन कराना चाहिए, जो आई एल ओ अनुशंसा 146 द्वारा समाहित बच्चों (जो स्थानीय अनिवार्य स्कूली शिक्षा कानूनों के अधीन हैं या जो विद्यालय जाते हैं) की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। इनमें इस बात की गारंटी देने वाले उपाय शामिल हैं कि विद्यालय चलने की अवधि के दौरान किसी भी बालक

अथवा किशोर कर्मचारी से काम न लिया जाए और एक दिन में (कार्यस्थल, विद्यालय तथा घर के बीच) आने-जाने, विद्यालय में पढ़ने और काम पर लगा कुल समय 10 घंटे से अधिक न हो।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदार तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर कर्मचारी रात में काम न करें और अपने कार्यस्थल के बाहर वे ऐसी स्थितियों से भी संरक्षित हों, जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, यौन शुचिता तथा भावनात्मक व शारीरिक विकास को जोखिम में डालती हैं। कंपनियाँ किशोर कर्मचारियों को प्रभावी शिकायत व्यवस्थाएँ, विद्यालयी तंत्र और औद्योगिक सुरक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगी।

3. बलात् श्रम

दंड का भय दिखाकर किसी व्यक्ति से कोई भी कार्य या सेवा लेना बलात् श्रम है। जिस कार्य या सेवा के लिए श्रमिक स्वेच्छा से तैयार न हो, उससे वह कार्य या सेवा लेना भी बलात् श्रम है।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को न तो बंधुआ मजदूरी, दासता, मानव तस्करी या कैदी श्रम सहित बलात् अथवा अनिवार्य श्रम कभी कराना चाहिए, न ही कभी सहन करना चाहिए।

यदि डाइखमन के व्यावसायिक साझेदार तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अपने व्यावसायिक साझेदारों द्वारा सेवायोजित इस प्रकार के श्रम का लाभ लेते हैं, तो उन पर सह-अपराधिता का अभियोग चलने का खतरा है।

भर्ती के दौरान, डाइखमन व्यावसायिक साझेदारों या आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को लोगों से जमानत राशि जमा करने अथवा व्यक्तिगत दस्तावेज सौंपने के लिए नहीं कहना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को बिना किसी बाधा के किसी भी समय अपना काम छोड़ने का और यथोचित सूचना अवधि देकर अपनी सेवायोजन संविदा को समाप्त करने का अधिकार होता है।

4. अनुशासनात्मक कार्रवाई

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदार तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, यौन हमले, शारीरिक दंड, भावनात्मक या शारीरिक बाध्यता तथा/अथवा गाली-गलौज की घटना न हो।

किसी भी आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना कर्मचारी को हमेशा लिखित रूप से दी जाएगी और इसके बारे में उसे स्पष्ट रूप से समझ में आने लायक शब्दों में मौखिक रूप से समझाया जाएगा।

5. भेदभाव

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को किसी भी व्यक्ति के साथ विशेषकर उसकी भर्ती, पारिश्रमिक, उन्नत प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा-समाप्ति या सेवानिवृत्ति की नोटिस के संबंध में उसकी प्रजाति, जाति, जन्म, सामाजिक वर्ग, नस्ल, राष्ट्रीयता, पंथ, निशक्तता, यौन अभिरुचि, किसी संघ की सदस्यता, राजनीतिक जुड़ाव, पारिवारिक दायित्वों या लिंग के आधार पर न तो भेदभाव करना चाहिए और न ही भेदभाव सहन करना चाहिए।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदार तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार अपने कर्मचारियों को अपनी प्रजाति, सामाजिक वर्ग, राष्ट्रीयता, पंथ, निशक्तता, लिंग, यौन अभिरुचि, किसी संघ की सदस्यता या राजनीतिक जुड़ाव संबंधी शिक्षाओं या व्यवहारों का पालन करने अथवा जरूरतों की पूर्ति करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं देंगे।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को भाव-भंगिमा, मौखिक अभिव्यक्ति अथवा शारीरिक संपर्क सहित किसी भी ऐसे आचरण को कभी सहन नहीं करना चाहिए, जिससे यौन हमले, धमकी, गाली-गलौज या शोषण का अर्थ निकलता हो।

महिला कर्मचारी कम से कम कानूनी प्रसव-पूर्व तथा प्रसव-पश्चात मातृत्व संरक्षण पाने की हकदार हैं। महिला कर्मचारियों को उनकी गर्भावस्था के चलते सेवाच्युत नहीं किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं से ऐसे कार्यस्थलों पर कार्य नहीं लिया जाना चाहिए, जहाँ उनके स्वास्थ्य को खतरा हो।

6. सेवायोजन जोखिमपूर्ण न हो

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदार तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सेवायोजन दशाओं के चलते कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता अथवा कोई सामाजिक या आर्थिक जोखिम नहीं उत्पन्न होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि संपूर्ण कार्य मान्यता-प्राप्त और प्रलेखित सेवायोजन संविदाओं के आधार पर किया जाए। सेवायोजन संविदाएँ राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों, व्यवहारों, रीतियों और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों में से जो भी सर्वाधिक संरक्षण प्रदान करता हो, उसके अनुरूप होनी चाहिए।

सेवायोजन आरंभ होने के पूर्व, डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को कर्मचारियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और कार्यावधि, पारिश्रमिक, अवकाश अधिकारों, मातृत्व संरक्षण तथा भुगतान शर्तों सहित कार्य दशाओं के संबंध में सुबोध जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को मानवोचित कार्य दशाएँ प्रदान करनी चाहिए। इसमें अपने कर्मचारियों को माता-पिता अथवा देखरेखकर्ता की उनकी भूमिका में सहयोग देना शामिल है। ऐसे प्रवासी कामगारों और मौसमी (सीजनल) कामगारों को सहयोग की विशेष रूप से जरूरत होती है, जिनके बच्चे उनके मूल निवास स्थान पर ही पीछे छूट गए होते हैं।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को सेवायोजन संबंध का इस प्रकार उपयोग नहीं करना चाहिए, जो जानबूझकर कानून के वास्तिवक उद्देश्य के विपरीत हो। इसमें (क) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य कोई अर्हता या नियमित कार्य प्रदान करना न हो, (ख) मौसमी कार्य या छोटे-मोटे काम, यदि इनका उपयोग कर्मचारी संरक्षण को क्षीण करने के लिए किया जाता है, और (ग) केवल-श्रम संविदाएँ इत्यादि शामिल हैं। यही नहीं, उप-ठेकेदारी से कर्मचारियों के किसी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए।

7. उपयुक्त पारिश्रमिक

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी मानक कार्य सप्ताह के लिए भुगतान की गई मजदूरी व वेतन कम से कम विधिक अपेक्षाओं पर खरी उतरते हों अथवा यदि इससे अधिक हों, तो सामूहिक सौदाकारी समझौतों में तय किए गए औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी सामाजिक हितलाभ भी इसमें सम्मिलित हों। भुगतान की गई मजदूरी व वेतन पर्याप्त रूप से इतने होना चाहिए कि कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, कर्मचारी व उनके परिवार शिष्ट जीवन जी सकें और उनके पास एक निश्चित आय भी बच सके।

डाइखमन के व्यावसायिक साझेदार तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरी, वेतन और वेतनेतर हितलाभ का यथार्थ संघटन नियमित अंतराल पर पारदर्शी होता रहे। सिर्फ कानून अथवा सामूहिक सौदाकारी समझौतों द्वारा अनुमत कटौतियों की ही अनुमति है। अनुशासनात्मक कटौतियों की अनुमति नहीं है। पारिश्रमिक स्तर में कर्मचारियों की अर्हता और शैक्षिक स्तर परिलक्षित होना चाहिए। इसमें नियमित कार्यावधि का भी उल्लेख होना चाहिए।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार संपूर्ण मजदूरी और अनुषंगी लाभ का भुगतान नियमित आधार पर कर्मचारियों के लिए अनुकूल तरीके से कानूनी प्रस्तावों के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। आई एल ओ आंशिक वेतन के रूप में वस्तु-भुगतान की अनुमति देता है।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई उप-ठेकेदारी या नकली एप्रेन्टिसशिप न हो, जिसके द्वारा औद्योगिक एवं सामाजिक बीमा कानूनों तथा ऐसे अन्य विनियमों के तहत कर्मचारियों के प्रति दायित्व से बचा जा सके।

8. उचित कार्य के घंटे

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को कार्य के घंटों से जुड़े लागू कानूनों और औद्योगिक मानकों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों को नियमित रूप से काम करते हुए प्रति सप्ताह 48 घंटों से अधिक कार्य नहीं करना पड़े। प्रति कार्यकारी सप्ताह में न्यूनतम एक दिन अवकाश अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, डाइखमन समूह आईएलओ अपवादों को अभिस्वीकृति देता है। इसलिए, लागू राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों, तुल्य औद्यो-गिक मानकों या सामूहिक सौदाकारी अनुबंधों का अर्थ आईएलओ द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय आधारभूत स्थितियों के दायरे में ही लगाया जाना चाहिए।

आई एल ओ द्वारा निर्धारित अपवादों में, कार्य के घंटों की उपरोक्त संख्या की ऊपरी सीमा में वृद्धि हो सकती है, जिस स्थिति में स्वैच्छिक आधार पर ओवर टाइम कार्य करने की अनुमति दी जाती है। यदि डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदा-रों के कर्मचारियों के साथ ओवर टाइम (नियमित कार्य सप्ताह से अधिक घंटे) कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है तो यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन्हें हमेशा प्रीमियम दर पर भुगतान किया जाए जो सामान्य दर के सवा (1.25) गुने से कम नहीं हो। ओवरटाइम अपवाद स्वरूप होना चाहिए और यह हमेशा स्वैच्छिक आधार पर किया जाना चाहिए।

9. संघ के गठन और सामूहिक सौदाकारी की स्वतंत्रता

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के कर्मचारी संघों के निर्माण करने, उनसे जुड़ने और सामूहिक सौदाकारी के अधिकारों का आदर करते है।

उन परिस्थितियों में, जब विधि द्वारा संघ निर्माण की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार अपने कर्मचारियों को नियोक्ता के साथ कार्य संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए आसानी से और स्वतंत्र रूप से एकत्र होने के लिए तुलनात्मक तरीके उपलब्ध करायेंगे।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता के कारण कर्मचारियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करेंगे या यूनियन प्रतिनिधियों की कर्म-चारियों के कार्यस्थल तक पहुँच या उन लोगों के साथ उनकी बातचीत में बाधा नहीं डालेंगे.

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा

इस धारणा की जाती है कि डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार सेक्टर और किसी विशेष जोखिम से अच्छी तरह से परिचित है, तब उन्हें निवास और कार्य के लिए अवश्य ही एक सुरक्षित, साफ और स्वास्थ्यप्रद माहौल उपलब्ध कराना चाहिये। उन्हें अवश्य ही एक प्रबंधन प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए जो तब इस आचार संहिता के स्वास्थ्य और सुरक्षा खण्डों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उत्त-रदायी होगा।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को सभी उपाय करने चाहिए जिससे कार्य वातावरण में निहित जोखिमों को कम किया जा सके और कार्य के दौरान या कार्य से उत्पन्न होने वाले या किसी भी प्रकार से उनके कार्य से जुड़े औद्योगिक दुर्घटना या नकारात्मक प्रभावों से कर्मचारियों की रक्षा की जा सके। वे लोग जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे, किशोर कर्मचारियों, युवा माताओं और गर्भवती महिलाओं और विकलांग लोगों तथा अन्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य के माहौल की गारंटी देने वाली एक प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन व कर्मचारियों और / या उनके प्रतिनिधियों के बीच सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग का ऐसा ही एक रूप औद्योगिक सुरक्षा समितियां है। कंपनियां कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संभावित जोखिमों का निर्धारण व आकलन करने, उन्हें रोकने और लड़ने के लिए प्रणालियों की स्थापना करना सुनिश्चित करेंगी। वे कार्य के दौरान या कार्य के वातावरण में जोखिम को कम करते हुए कार्य के सिलसिले में कर्मचारियों के बीच संभावित दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि सभी एक उचित और प्रलेखित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करें और इस प्रशिक्षण को सभी नए और फिर से काम पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए पुनरावृत्ति की जाती है।

डाइखमन के व्यापार भागीदार औरआपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा को बेहतर करने का हरसंभव प्रयास करेंगे, उदाहरण के लिए, अनिवार्य बीमा प्रणाली के माध्यम से। अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्दर, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयंत्रों तथा भवनों, कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर सहित, यदि नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, को स्थिर और सुरक्षित बनाने व किसी भी संभावित आपात स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक सभी उचित कदम उठाएंगे।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति लिए कंपनी के परिसर से बाहर जाने के उनके अधिकार का आदर करेंगे, यदि ऐसा करना तात्कालिक खतरे से बाहर निकलने के लिए जरूरी है।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदा औद्योगिक चिकित्सा देखभाल और संबद्ध सुविधाओं का एक उचित स्तर उपलब्ध करायेंगे।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदार कर्मचारियों के लिए पीने के साफ पानी, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन और विश्राम श्रेत्रों व भोजन को तैयार और भंडारित करने के लिए सुरक्षित और साफ स्थान उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त वे अपने सभी कर्मचारियों को हमेशा मुफ्त प्रभावी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पी पी ई) उपलध करायेंगे।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि शयनगृह, यदि कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, व शौचालय और सफाई स्थल (वॉशिंग फैसिलिटी) साफ और स्वच्छ हो तथा बुनियादी सुविधाओं से लैस हो।

11. पर्यावरण की सुरक्षा

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को अपने ऑपरेशन की जाँच अवश्य करनी चाहिए ताकि किसी वृहद् पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाया जा सके व उन प्रभावी दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया जा सके जो पर्यावरण के प्रति उनके दायित्व को प्रतिबिंबित करता है। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का यथासंभव कुशल और किफायती उपयोग अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। जिस देश में वे अपने व्यवसाय का संचालन करते है, वहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार समुदाय, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने कि उचित उपायों का कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे। यथासंभव जोखिम-भरे पदार्थों के उपयोग से बचना चाहिए या केवल बहुत सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग तभी करना चाहिए जब उचित उपयोग करने में समर्थ हो, और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचे।

कचरे का निपटान और कंटेनर्स पर्यावरण के अनुकूल होना सुनिश्चित किया जाए और अनुरोध किया जाने पर उसे साबित भी किया जाए। उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी अपशिष्ट पदार्थों का निपटान उचित विधि से किया जाना चाहिए।

12. नैतिक व्यवसाय

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार आश्वासन देते हैं कि वे भ्रष्टाचार, जबरन वसूली या गबन या रिश्वतखोरी के किसी भी रूप में संलग्न नहीं होंगे, जिसमें अनुचित वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन का वादा, प्रस्ताव या देना तथा अन्य प्रकार" शामिल है।

हम अपेक्षा करते है कि डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों के पास उनकी गतिविधियों, संरचना तथा प्रदर्शन के बारे में सटीक सूचना उपलब्ध हो और जिसे वे लागू नियमों और तुलनात्मक औद्योगिक प्रथाओं के अनुसार प्रकट करें।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों को आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित इस तरह की सूचनाओं की हेराफेरी करने में या किसी धोखे में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्हें गोपनीयता और सूचना सुरक्षा कानूनों और नियमों के अनुसार व समुचित सावधानी बरतते हुए व्यक्तिगत डेटा (कर्मचारियों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों और उपभोक्ताओं से संबंधित डेटा सहित) का संग्रह, उपयोग और सुरक्षा करना चाहिए।

13. प्रबंधन प्रणाली

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों को यहाँ बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट कदम उठाने चाहिए, अपने सभी व्यवसायिक कार्यों के साथ उन्हें एकीकृत करना चाहिए व उन्हें अपने कॉर्पोरेट दर्शन और नीति का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों को एक प्रबंधक की नियुक्त करना चाहिए जो उनके संस्थान में डाइखमन की आचार-संहिता से जुड़ी सभी बातों के लिए जिम्मेदार होगा।

डाइखमन के व्यापार भागीदारों के और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों के कार्यकारी बोर्ड्स को डाइखमन की आचार-संहिता में निर्धारित मानकों के क्रियान्वयन की जाँच नियमित रूप से अवश्य करनी चाहिए।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार अपने निरीक्षण के अधीन कर्मचारियों के संबंध में डाइखमन की आचार-संहिता में निर्धारित मानकों की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वे निम्नानुसार सहमति देते हैं -

- डाइखमन की आचार-संहिता को उनके स्वामित्व के या उनके द्वारा प्रबंधित प्रत्येक कार्य-स्थल पर लागू करने के लिए किसी को नियुक्त करना;

- यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी डाइखमन की आचार-संहिता में वर्णित सभी नियमों से परिचित हो और इसके लिए कर्मचारियों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा में नियमित रूप से डाइखमन की आचार-संहिता के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए;

- डाइखमन के आचार-संहिता के अनुपालन के बारे में सूचना प्रदान करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करना, उन्हें नौकरी से नहीं निकालना या उन कर्मचारियों के खिलाफ अन्य प्रकार से भेदभाव नहीं करना।

डाइखमन के व्यापार भागीदारों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उप-ठेकेदारों को दस्तावेजों के माध्यम से अवश्य साबित करना चाहिए कि वे डाइखमन की आचार-संहिता के मानकों को पूरा करते है। उन्हें ऐसे दस्तावेजों तक अवश्य पहुँच प्रदान करना चाहिए और डाइखमन समूह द्वारा अधिकृत पक्षों को उचित सूचनाएं अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे जाँच कर सके कि मानकों को पूरा किया गया है या नहीं।

डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों को उप-ठेकेदार के साथ प्रत्येक अनुबंध में डाइखमन की आचार-संहिता के मानकों को शामिल करना चाहिए। इन अनुबंधों (इस खंड सहित) को डाइखमन की आचार-संहिता के मानकों को पूरा करने के लिए उप-ठेकेदारों बाध्य करना चाहिए और, अनुरोध पर, आपूर्तिकर्ता के ऑडिट में भाग लेना चाहिए।

14. लेखा-परीक्षा और निगरानी

डाइखमन की आचार-संहिता के अनुपालन की जाँच करने के लिए, डाइखमन समूह सामाजिक और पर्यावरणीय लेखा-परीक्षणों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों का उपयोग करेगा। डाइखमन के विभिन्न व्यापार साझीदार क्रियान्वयन की विभिन्न शर्तों के अधीन होंगे, जो आपूर्ति श्रृंखला में उनकी भूमिका पर निर्भर करेगा।

हम, डाइखमन समूह, व्यवस्थित, अघोषित निरीक्षण के माध्यम से इस आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। इन सभी निरीक्षणों का संचालन डाइखमन समूह के सदस्यों या स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों द्वारा व्यापार सामाजिक अनुपालन पहल (बी एस सी आई) के दिशा निर्देशों के आलोक में किया जाएगा।

15. सुधारात्मक कार्रवाई और गैर-अनुपालन

डाइखमन आचार संहिता उन सिद्धांतों का वर्णन करती है, जिसे डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों द्वारा पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।
हम भलीभांति जानते है कि इनमें से कुछ अपेक्षाओं को प्रत्येक भागीदार द्वारा तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता है। डाइखमन समूह के लिए, यह आवश्यक है कि गैर-अनुपालन की स्थिति में, डाइखमन के व्यापार भागीदार और आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदार स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और समय के साथ इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। इसे पूरा करने में कितना समय दिया जाता है, यह सुधारात्मक कार्रवाई और जोखिम की मात्रा पर निर्भर करता है, और इसके बारे में डाइखमन समूह के साथ अवश्य सहमत होना चाहिए।

यदि डाइखमन व्यापार भागीदारों या आपूर्ति श्रृंखला से जुडे उप-ठेकेदारों द्वारा इस आचार संहिता के उल्लंघन को दोहराया जाता है, और कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती हैं, तो हम सहयोग को समाप्त करने के लिए बाध्य होंगे।

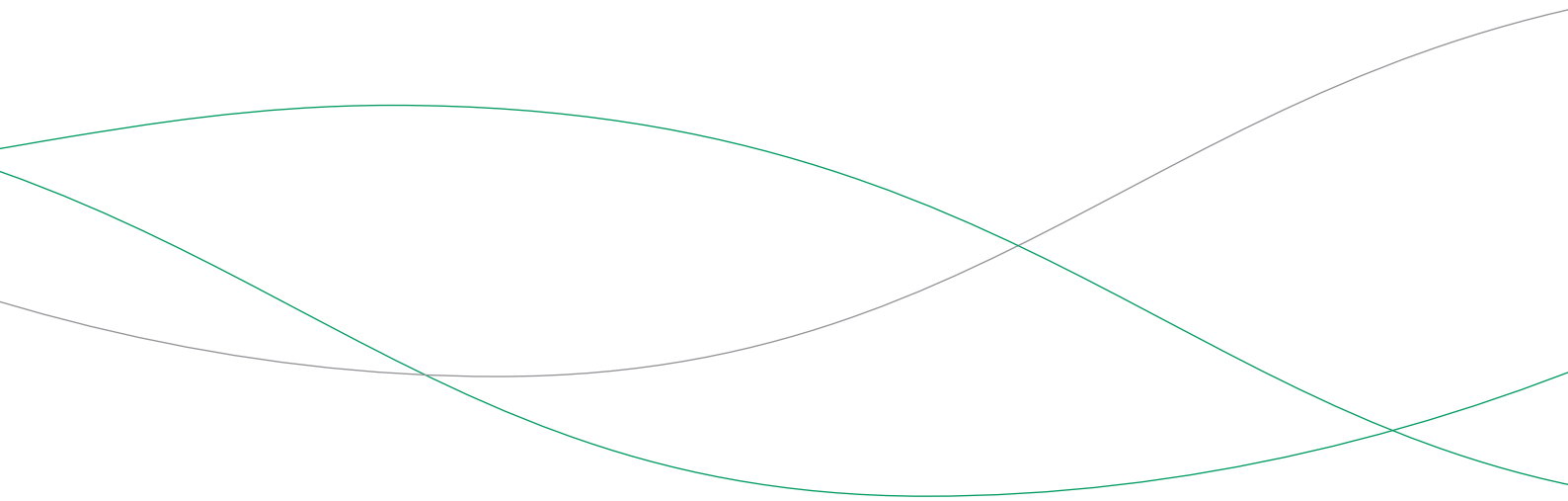

Deichmann SE • Deichmannweg 9 • 45359 Essen • info@deichmann.com